

India-Africa Forum Summit Postponed Due to Ebola Virus Outbreak



The Fourth India-Africa Forum Summit (IAFS-IV), to be held in New Delhi from 28-31 May 2026, has been postponed as the Ebola virus outbreak continues to evolve in parts of Africa. This was taken following a discussion between the Government of India, the African Union Commission and health authorities. Largely confined to the Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda, the outbreak raised alarm around the world with the declaration of a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the World Health Organisation (WHO). The summit was supposed to be a catalyst for enhanced cooperation between India and Africa in the fields of trade and connectivity, defence, technology and healthcare.

Reasons: India-Africa Forum Summit Postponed Amid Ebola Health Emergency

- The Fourth India-Africa Forum Summit (IAFS-IV) was held in New Delhi, May 28-31, 2026.
- The summit between India and the African Union was postponed due to the Ebola outbreak in Africa.
- The decision is based on the “emerging public health situation”, the Ministry of External Affairs (MEA) said, indicating that it had acted on the “advice” of the Government of India’s advisory committee on vaccinations, immunisation and related public health issues.

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

- The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Uganda was declared a Public Health Emergency of International Concern by the WHO.
- Ebola now has no vaccine available to protect people living in infected areas, and the Bundibugyo strain is proliferating in those areas.
- The summit focused on strengthening cooperation in various areas, such as trade, defence, health, education and digital technology, between India and Africa.
- The theme of the summit, its logo and website were earlier launched by the External Affairs Ministry's covered message-bearer S. Jaishankar in April 2026.
- The theme for the summit was "IA SPIRIT: India Africa Strategic Partnership for Innovation, Resilience, and Inclusive Transformation."
- The India-Africa Forum Summit was an important diplomatic forum launched in 2008 to enhance the relations between India and the African countries.
- In 2015, over 50 African countries attended a nationwide New Delhi event as India hosted the last India-Africa Forum Summit.
- Concerns about Ebola also impacted earlier versions of the summit in 2014-15.
- On the international front, India has taken the potential step to put off the event due to its cautiousness on international public health and the diplomatic agenda.

Important Previous Year Questions

| Exam Name | Year | Question | Options | Answer |
|--------------|------|---|--|--|
| UPSC Prelims | 2020 | Ebola virus disease mainly spreads through? | A. Airborne particles B. Mosquito bites C. Contact with infected bodily fluids D. Contaminated water | C. Contact with infected bodily fluids |
| SSC CGL | 2021 | Which organization declares a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)? | A. UNESCO B. WHO C. UNICEF D. WTO | B. WHO |
| CDS Exam | 2019 | The India-Africa Forum Summit is related to cooperation between India and? | A. ASEAN Nations B. European Union C. African Nations D. SAARC Countries | C. African Nations |
| State PCS | 2022 | Ebola virus outbreak was recently reported in which African region? | A. South Africa B. Egypt C. Congo-Uganda region D. Morocco | C. Congo-Uganda region |

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

| | | | | |
|----------|------|---|---|---------------------------------|
| NDA Exam | 2023 | The Ministry responsible for organizing India-Africa Forum Summit is? | A. Ministry of Commerce B. Ministry of Defence C. Ministry of External Affairs D. Ministry of Health | C. Ministry of External Affairs |
|----------|------|---|---|---------------------------------|

Conclusion: India-Africa Relations Remain Strong Despite Summit Delay

The Ebola outbreak, postponing the India-Africa Forum Summit, is a clear reminder of the importance of global health security in international diplomacy. Indian and African countries still have a robust strategic and development partnership, though there are temporary interruptions. The move comes after a principled and cautionary move to protect delegates and public health. The Indian Government has always been supporting African countries in terms of capacity building, healthcare, digital connectivity, and trade cooperation. In the improved health scenario, India is seeking to resume and expand bilateral cooperation in various areas like technology, defence, education, etc. and economic development at the summit is likely.

Supreme Court Allows Seditious Trials If Accused Does Not Object



Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

The Supreme Court has ruled that if an accused does not seek a review, he can continue to be charged and can also appeal in courts with regard to sedition charges under the British-era Indian Penal Code (IPC) Section 124A. This clarification was given in response to an accused person who has been arrested for almost 17 years and whose appeal was pending before the Madhya Pradesh High Court. The Supreme Court had in 2022 struck down the sedition law's constitutionality and suspended the trial of the Sedition lawsuit. This clarification seeks to avoid any further sustenance given to the delay in justice and uphold the "right" to speedy trial under Article 21 of the Constitution.

Key Highlights of the Supreme Court on Sedition Cases

- The Supreme Court said sedition trials and appeals will be allowed without any objections raised by the accused.
- The clarification is about the definition of sedition under Section 124A of the IPC.
- In May 2022, the Supreme Court had instructed that all pending sedition trials and cases should be pulled and impeded.
- It is a clarification by a Bench of Chief Justice Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi and Vipul M. Pancholi.
- The decision came after a hearing by a Petitioner who had been in jail for 17 years.
- The petitioner had an appeal with the Madhya Pradesh High Court.
- The Court made it a point to highlight that the constitutional right to a speedy trial under Article 21 has to be respected.
- Section 124A of the IPC has been a matter of discussion and controversy as to its threat to freedom of speech and misuse of the term sedition.
- The Supreme Court is also taking up a petition challenging Section 152 of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which critics refer to the old sedition law.
- The Court explained that the previous stay order should not prevent the accused persons from being provided with relief on disposal of the pending Appeals.
- This judgment could ease the pendency of old cases of sedition in criminal courts in India.
- The judgment will emphasise the importance of striking a balance between national security interests and individual constitutional rights.

Important PYQs for Exams

| Exam Name | Year | Question | Options | Answer |
|--------------|------|--|---|---------------------------------------|
| UPSC Prelims | 2021 | Article 21 of the Indian Constitution is related to? | A. Freedom of Religion B. Right to Equality C. Right to Life and Personal Liberty D. Constitutional Remedies | C. Right to Life and Personal Liberty |

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

| | | | | |
|--------------|----------|---|---|----------------------------------|
| SSC CGL | 202 2 | Sedition under the old IPC was defined under which section? | A. Section 302 B. Section 124A C. Section 420 D. Section 498A | B. Section 124A |
| CDS Exam | 202 0 | Which court in India has the power of judicial review? | A. District Court B. High Court Only C. Supreme Court and High Courts D. Parliament | C. Supreme Court and High Courts |
| State PCS | 202 3 | The right to speedy trial is considered part of which Article? | A. Article 14 B. Article 19 C. Article 21 D. Article 32 | C. Article 21 |
| NDA Exam | 202 1 | Which fundamental right is most closely associated with freedom of speech and expression? | A. Article 14 B. Article 19(1)(a) C. Article 21 D. Article 25 | B. Article 19(1)(a) |

Conclusion: Supreme Court Balances Speedy Justice and Legal Safeguards

The Supreme Court's clarification in a sedition trial comes with a motive to maintain balance between the constitutional freedoms and efficiency in the courtrooms. The Court allowed the courts to start acting on the cases even when the accused is not opposed to that, thus preventing the cases from being perpetually left hanging. It also gives a boost to the concept of 'swift justice' as enshrined in Article 21 of the Constitution of India. Meanwhile, the constitutionality of the sedition provisions is still being challenged. The move is crucial for the Indian criminal justice system, where, one way or the other, it was finding it difficult to curb unnecessary stays in custody while trying to keep the legal proceedings intact in sensitive national security-related cases.

Ladakh Seeks Constitutional Safeguards, Statehood and Political Representation



The UT of Ladakh has pitched its cause for giving constitutional protections, restoring statehood, and increasing political representation. Civil society groups representing the Leh Apex Body (LAB) and Kargil Democratic Alliance (KDA) have been seeking protection of land, job, culture and identity for Ladakh, which they want to be accorded Sixth Schedule status by the Central Government. These demands started to grow after Article 370 was scrapped in 2019 and Ladakh was made a Union Territory of the country. Protestors have been holding marches and hunger strikes for democratic rights and, above all, parliamentary representation and a guarantee under the Constitution for the protection of the fragile Himalayan region, led by climate activist Sonam Wangchuk.

Why Ladakh Is Seeking Statehood, Political Representation

- Ladakh civil society groups are demanding constitutional safeguards under the Sixth Schedule of the Constitution.
- The Leh Apex Body (LAB) and Kargil Democratic Alliance (KDA) are leading the movement in Ladakh.

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

- Ladakh became a Union Territory in August 2019 after the bifurcation of the former state of Jammu and Kashmir.
- Protesters are demanding statehood for Ladakh to ensure democratic governance and local autonomy.
- The Sixth Schedule provides safeguards for tribal areas through autonomous district councils.
- Ladakh's population is largely tribal, and locals seek protection of land, employment, and cultural identity.
- Sonam Wangchuk has led awareness campaigns and hunger strikes over the issue.
- Protesters have also demanded separate Lok Sabha seats and representation in the Rajya Sabha.
- The Ministry of Home Affairs held discussions with Ladakh representatives regarding their demands.
- The region is strategically important because of its borders with China and Pakistan.
- Protest groups argue that constitutional safeguards are necessary to preserve Ladakh's ecological balance and indigenous traditions.
- The demands have become a major political and constitutional issue in the Himalayan region.

Important PYQs on Ladakh

| Exam Name | Year | Question | Options | Answer |
|--------------|------|---|---|--------------------------------|
| UPSC Prelims | 2020 | The Sixth Schedule of the Constitution deals with? | A. Emergency Provisions B. Tribal Areas Administration C. Fundamental Duties D. Citizenship | B. Tribal Areas Administration |
| SSC CGL | 2022 | Ladakh became a Union Territory in which year? | A. 2014 B. 2016 C. 2019 D. 2021 | C. 2019 |
| CDS Exam | 2021 | Which ministry handles Union Territory administration in India? | A. Ministry of Defence B. Ministry of Home Affairs C. Ministry of Tribal Affairs D. Ministry of Law | B. Ministry of Home Affairs |
| State PCS | 2023 | The Sixth Schedule currently applies mainly to tribal areas of? | A. Northern India B. Southern India C. Northeastern India D. Western India | C. Northeastern India |

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

| | | | | |
|----------|------|---|---|--------------|
| NDA Exam | 2021 | Which Article of the Constitution deals with the formation of new states and alteration of areas? | A. Article 1 B. Article 2 C. Article 3 D. Article 5 | C. Article 3 |
|----------|------|---|---|--------------|

Conclusion on Ladakh Statehood and Sixth Schedule Demand

As rising activism for statehood, constitutional protection and regional development in Ladakh continues, this can be interpreted as expressing concerns about identity and governance issues. Tribal groups in the region feel that the Sixth Schedule protection will help safeguard their environment, culture and land rights. The movement has also raised questions surrounding representation in democracy, following Ladakh's status as a Union Territory in 2019. Ladakh's civil society still persists in pushing for more autonomy and constitutional status through peaceful protest and negotiations. It is still relevant in the context of India's federal architecture, border security, tribal rights, and inclusive governance at strategic locations across the country.



HINDI

इबोला वायरस के प्रकोप के कारण भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित



भारत-अफ्रीका फोरम का चौथा शिखर सम्मेलन (आईएफएस-IV), जो 28-31 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस के प्रकोप के लगातार बढ़ते रहने के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय भारत सरकार, अफ्रीकी संघ आयोग और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया। मुख्य रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) और युगांडा तक सीमित इस प्रकोप ने विश्व भर में चिंता पैदा कर दी है, जिसके चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार और संपर्क, रक्षा, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था।

कारण: इबोला महामारी के कारण भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित

- चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएफएस-IV) 28-31 मई, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- अफ्रीका में इबोला के प्रकोप के कारण भारत और अफ्रीकी संघ के बीच शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था।
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह निर्णय "उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति" पर आधारित है, और यह दर्शाता है कि उसने टीकाकरण, प्रतिरक्षण और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर भारत सरकार की सलाहकार समिति की "सलाह" पर कार्रवाई की है।

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
- इबोला के लिए फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है जो संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्षा कर सके, और बंडीबुग्यो स्ट्रेन उन क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है।
- इस शिखर सम्मेलन में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन का विषय, इसका लोगो और वेबसाइट इससे पहले अप्रैल 2026 में विदेश मंत्रालय के गुप्त संदेशवाहक एस. जयशंकर द्वारा लॉन्च किए गए थे।
- शिखर सम्मेलन का विषय था "आईए स्पिरिट: नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी।"
- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2008 में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण राजनयिक मंच था।
- 2015 में, भारत द्वारा आयोजित अंतिम भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के दौरान, 50 से अधिक अफ्रीकी देशों ने नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया था।
- इबोला को लेकर चिंताओं ने 2014-15 में हुए शिखर सम्मेलन के पहले के संस्करणों को भी प्रभावित किया था।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य और राजनयिक एजेंडा को लेकर अपनी सतर्कता के चलते इस आयोजन को स्थगित करने का संभावित कदम उठाया है।

पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न


| परीक्षा का नाम | वर्ष | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|--------------------|------|--|---|---|
| यूपीएससी प्रीलिम्स | 2020 | इबोला वायरस रोग मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? | ए. हवा में मौजूद कण बी. मच्छरों के काटने सी. संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना डी. दूषित पानी | सी. संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना |
| एसएससी सीजीएल | 2021 | कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित करता है? | ए. यूनेस्को बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन सी. यूनिसेफ डी. विश्व व्यापार संगठन | बी. कौन |
| सीडीएस परीक्षा | 2019 | भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन भारत और किन देशों के बीच सहयोग से संबंधित है? | ए. आसियान राष्ट्र बी. यूरोपीय संघ सी. अफ्रीकी राष्ट्र डी. साके देश | सी. अफ्रीकी राष्ट्र |
| राज्य पीसीएस | 2022 | हाल ही में अफ्रीका के किस क्षेत्र में इबोला वायरस का प्रकोप देखा गया था? | ए. दक्षिण अफ्रीका बी. मिस्र सी. कांगो-युगांडा क्षेत्र डी. मोरक्को | सी. कांगो-युगांडा क्षेत्र |

Current Affairs Capsule for 22 May 2026
(CLASS24)

| | | | | |
|------------------|----------|--|--|-----------------------|
| एनडीए परीक्षा | 202 3 | भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? | ए. वाणिज्य मंत्रालय बी. रक्षा मंत्रालय सी. विदेश मंत्रालय डी. स्वास्थ्य मंत्रालय | सी. विदेश मंत्रालय |
|------------------|----------|--|--|-----------------------|

निष्कर्ष: शिखर सम्मेलन में देरी के बावजूद भारत-अफ्रीका संबंध मजबूत बने हुए हैं

इबोला के प्रकोप के कारण भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का स्थगन होना, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व की स्पष्ट याद दिलाता है। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच अब भी मजबूत रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी है, हालांकि इसमें अस्थायी रुकावटें आई हैं। यह कदम प्रतिनिधियों और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सैद्धांतिक और सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण से उठाया गया है। भारत सरकार हमेशा से ही अफ्रीकी देशों को क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार सहयोग के क्षेत्र में समर्थन देती रही है। स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के मद्देनजर, भारत प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को फिर से शुरू करने और विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, और शिखर सम्मेलन में आर्थिक विकास पर भी सहयोग होने की संभावना है।



यदि अभियुक्त आपत्ति न करे तो सर्वोच्च न्यायालय राजद्रोह के मुकदमों की अनुमति देता है



सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि कोई आरोपी पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करता है, तो उस पर राजद्रोह के आरोप जारी रह सकते हैं और वह ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के आरोपों के संबंध में अदालतों में अपील भी कर सकता है। यह स्पष्टीकरण एक ऐसे आरोपी के जवाब में दिया गया है जिसे लगभग 17 वर्षों से गिरफ्तार किया गया है और जिसकी अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को रद्द कर दिया था और राजद्रोह मुकदमों की सुनवाई स्थगित कर दी थी। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य न्याय में देरी को और बढ़ावा देने से बचना और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार को बरकरार रखना है।

राजद्रोह मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के मुकदमों और अपीलों की सुनवाई आरोपियों द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति के बिना की जाएगी।
- यह स्पष्टीकरण आईपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह की परिभाषा के बारे में है।
- मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजद्रोह के सभी लंबित मुकदमों और मामलों को रद्द कर दिया जाए और उन पर रोक लगा दी जाए।
- यह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ द्वारा दी गई स्पष्टीकरण है।
- यह फैसला याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद आया, जो 17 साल से जेल में था।

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

- याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
- न्यायालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
- आईपीसी की धारा 124ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरे और राजद्रोह शब्द के दुरुपयोग को लेकर चर्चा और विवाद का विषय रही है।
- सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसे आलोचक पुराने राजद्रोह कानून के रूप में संदर्भित करते हैं।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व स्थगन आदेश लंबित अपीलों के निपटारे पर अभियुक्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने से नहीं रोकना चाहिए।
- इस फैसले से भारत की आपराधिक अदालतों में राजद्रोह के पुराने लंबित मामलों में राहत मिल सकती है।
- यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर देगा।

परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पूर्व-वर्ष प्रश्न

| परीक्षा का नाम | वर्ष | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|---------------------|------|--|---|--|
| यूपीएस सी प्रीलिम्स | 2021 | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? | ए. धर्म की स्वतंत्रता बी. समानता का अधिकार सी. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डी. संवैधानिक उपचार | सी. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार |
| एसएससी सीजीएल | 2022 | पुराने आईपीसी के तहत राजद्रोह को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया था? | ए. धारा 302 बी. धारा 124ए सी. धारा 420 डी. धारा 498ए | बी. धारा 124ए |
| सीडीएस परीक्षा | 2020 | भारत में किस न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? | ए. जिला न्यायालय बी. केवल उच्च न्यायालय सी. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय डी. संसद | सी. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय |
| राज्य पीसीएस | 2023 | त्वरित सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद का भाग माना जाता है? | ए. अनुच्छेद 14 बी. अनुच्छेद 19 सी. अनुच्छेद 21 डी. अनुच्छेद 32 | सी. अनुच्छेद 21 |
| एनडीए परीक्षा | 2021 | कौन सा मौलिक अधिकार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? | ए. अनुच्छेद 14 बी. अनुच्छेद 19(1)(ए) सी. अनुच्छेद 21 डी. अनुच्छेद 25 | ख. अनुच्छेद 19(1)(क) |

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय त्वरित न्याय और कानूनी सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाए रखता है।

राजद्रोह के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण संवैधानिक स्वतंत्रता और अदालतों की कार्यकुशलता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से आया है। न्यायालय ने अदालतों को उन मामलों पर कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है, भले ही आरोपी इसका विरोध न कर रहा हो, जिससे मामलों को अनिश्चित काल तक लंबित रहने से रोका जा सके। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'त्वरित न्याय' की अवधारणा को भी बल मिलता है। हालांकि, राजद्रोह संबंधी प्रावधानों की संवैधानिकता को अभी भी चुनौती दी जा रही है। यह कदम भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, जहां संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में कानूनी कार्यवाही को जारी रखने के प्रयास में अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना किसी न किसी रूप में कठिन हो रहा था।

लद्दाख संवैधानिक सुरक्षा, राज्य का दर्जा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है।

Ladakh Seeks Constitutional Safeguards,

STATEHOOD AND POLITICAL REPRESENTATION



लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश संवैधानिक संरक्षण, राज्य का दर्जा बहाल करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रहा है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज समूह लद्दाख के लिए भूमि, रोजगार, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वे केंद्र सरकार से छठी अनुसूची का दर्जा चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को 2019 में समाप्त किए जाने और लद्दाख को देश का केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये मांगें बढ़ने लगीं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक अधिकारों और सबसे बढ़कर संसदीय प्रतिनिधित्व तथा संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संविधान के तहत गारंटी की मांग को लेकर मार्च और भूख हड़ताल कर रहे हैं।

लद्दाख राज्य का दर्जा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों चाहता है?

- लद्दाख के नागरिक समाज समूह संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
- लद्दाख में इस आंदोलन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) कर रहे हैं।
- जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य के विभाजन के बाद अगस्त 2019 में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
- प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक शासन और स्थानीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
- छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।
- लद्दाख की अधिकांश आबादी आदिवासी है, और स्थानीय लोग अपनी भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा चाहते हैं।
- सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया है।
- प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा के लिए अलग सीटें और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की भी मांग की है।
- गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की।
- चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं के कारण यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों का तर्क है कि लद्दाख के पारिस्थितिक संतुलन और स्वदेशी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- ये मांगें हिमालयी क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा बन गई हैं।

लद्दाख पर महत्वपूर्ण पूर्व प्रश्न

| परीक्षा का नाम | वर्ष | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|---------------------|------|--|---|-----------------------------|
| यूपीएस सी प्रीलिम्स | 2020 | संविधान की छठी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? | ए. आपातकालीन प्रावधान बी. जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सी. मौलिक कर्तव्य डी. नागरिकता | बी. जनजातीय क्षेत्र प्रशासन |
| एसएससी सीजीएल | 2022 | लद्दाख किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? | ए. 2014 बी. 2016 सी. 2019 डी. 2021 | सी. 2019 |
| सीडीएस परीक्षा | 2021 | भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस मंत्रालय के अधीन है? | ए. रक्षा मंत्रालय बी. गृह मंत्रालय सी. जनजातीय मामलों का मंत्रालय डी. विधि मंत्रालय | ख. गृह मंत्रालय |

Current Affairs Capsule for 22 May 2026 (CLASS24)

| | | | | |
|---------------|----------|--|---|---------------------|
| राज्य पीसीएस | 202 3 | छठी अनुसूची वर्तमान में मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। | ए. उत्तरी भारत बी. दक्षिणी भारत सी. उत्तरपूर्वी भारत डी. पश्चिमी भारत | सी. पूर्वोत्तर भारत |
| एनडीए परीक्षा | 202 1 | संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों के परिवर्तन से संबंधित है? | ए. अनुच्छेद 1 बी. अनुच्छेद 2 सी. अनुच्छेद 3 डी. अनुच्छेद 5 | सी. अनुच्छेद 3 |

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची की मांग पर निष्कर्ष

लद्दाख में राज्य का दर्जा, संवैधानिक संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के लिए बढ़ते आंदोलन को पहचान और शासन संबंधी मुद्दों पर चिंता व्यक्त करने के रूप में देखा जा सकता है। क्षेत्र के आदिवासी समूहों का मानना है कि छठी अनुसूची के तहत संरक्षण से उनके पर्यावरण, संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा होगी। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से इस आंदोलन ने लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल भी उठाए हैं। लद्दाख का नागरिक समाज शांतिपूर्ण विरोध और बातचीत के माध्यम से अधिक स्वायत्तता और संवैधानिक दर्जे के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारत की संघीय संरचना, सीमा सुरक्षा, आदिवासी अधिकारों और देश भर के रणनीतिक स्थानों पर समावेशी शासन के संदर्भ में यह आंदोलन आज भी प्रासंगिक है।